हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07-01-2025	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। प्रार्थिगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है– **प्रार्थना पत्र संख्या 68/2023 दायरा दिनांक 27.09.2023** **बउनवान लक्ष्मण वगै0 बनाम चेतराम वगै0** निर्णय प्रार्थिगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद विषयक आराजीयात जमाबंदी खतौनी संख्या नया 54 पुरानी 55 कुल रकबा 4.97 है0 वाके ग्राम बुढेल पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़, जमाबंदी खतौनी संख्या नया 23 पुरानी 21 कुल रकबा 3.7600है0 वाके ग्राम बुढेल पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़, इसी प्रकार जमाबंदी खतौनी संख्या 22 पुरानी 20 कुल रकबा 1.9000है0 वाके ग्राम बुढेल पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़, इसी प्रकार जमाबंदी खतौनी संख्या नयी 289 पुरानी 270 रकबा 1.8300है0 वाके ग्राम बुढेल पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ, इसी प्रकार खतौनी संख्या नयी 53 पुरानी 59 कुल रकबा 5.22है0 वाके ग्राम उतराना पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थिगण की पैतृक कृषि भूमि है जो अम्बालाल के देहांत के उपरांत उनके वारिसान के खाते में दर्ज हुयी। अम्बालाल के चार पुत्र लक्ष्मण, सुखदेव, रामरतन व भंवरलाल हुए जिनमें रामरतन व भंवरलाल का देहांत हो चुका है। भंवरलाल का एक पुत्र चेतराम है। रामरतन की पत्नी तुलसीबाई, पुत्री तस्वीर बाई एवं तीन पुत्र नंदकिशोर, बनवारीलाल व राजेन्द्र कुमार है। अम्बालाल का पुत्र सुखदेव करीब 20–25वर्षों से लापता है। सुखदेव की पत्नी नटीबाई का देहांत हो चुका है। प्रार्थिया विमला देवी सुखदेव की पुत्री व एक मात्र वारिस है। प्रार्थिया के पिता सुखदेव करीब 20–25वर्षों से लापता है जो कानूनी रूप से मृत हो चका है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया सुखदेव के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 जबरन उक्त शामलाती वाद विषयक आराजी से प्रार्थिगण को उनके हिस्से से बेदखल कर कब्जा करने एवं उसे अन्य व्यक्तियों को रहन, बेचान करने पर आमादा है जिससे प्रार्थिगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं है। प्रार्थिगण का प्रथम दृष्ट्या केस प्रमाणित है एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थिगण के पक्ष में है। अन्त में प्रार्थिगण ने निवेदन किया कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष प्रदान किया जावे। प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर जाकर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थिगण 1 ता0 6 एवं 8 ता0 16 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं 7 के अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर दिए जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने से उनका जवाब बंद उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली बहस में नियत की गई। प्रार्थना पत्र पत्रावली पर प्रार्थिगण अधिवक्ता की बहस एकपक्षीय सुनी। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया वाद विषयक आराजी पैतृक है। प्रार्थिया विमला देवी सुखदेव की पुत्री व एक मात्र वारिस है। प्रार्थिया के पिता सुखदेव करीब 20–25वर्षों से लापता है जो कानूनी रूप से मृत हो चका है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया सुखदेव के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। प्रार्थी सं 1 वाद विषयक आराजी का उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सहखातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 जबरन उक्त शामलाती वाद विषयक आराजी से प्रार्थिगण को उनके हिस्से से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है जिनका उनको कोई अधिकार नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थिगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

हमने प्रार्थिगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपस्थित वाद विषयक आराजीयात ग्राम बुढेल व उतराना की नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी सं 1 व प्रार्थिया सं 2 के पिता का नाम बतौर सहखातेदार जमाबंदी में दर्ज है। पत्रावली में उपस्थित मुकदमा संख्या 17/वाद/2023 न्यायालय सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़ के नकल निर्णय दिनांक 05.11.2024 के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि माननीय न्यायालय ने प्रार्थिया सं 2 के पिता सुखदेव पुत्र अम्बालाल जाति मीना निवासी ग्राम बुढ़ेल को मृत घोषित किया गया है। प्रार्थिया संख्या 2 को वाद विषयक आराजी में क्या हक अधिकार प्राप्त होंगे इसका निर्धारण वाद पत्र में प्रार्थिगण के साक्ष्य लिए जाकर ही किया जा सकता है। प्रार्थी सं. 1 का नाम उक्त शामलाती वाद विषयक कृषि भूमि में बतौर सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थिगण ने उक्त भूमि पर कब्जे संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किए है। प्रार्थिगण के पक्ष में अपूर्णीय क्षति प्रमाणित नहीं होती है। हमारे मत में वाद विषयक आराजीयात के सहखातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)